

Ex-Post Facto Proposal

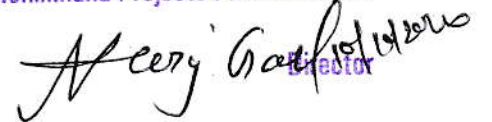
कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग, एन0एच0-30 (पुराना एन0एच0-24), किमी0 267-268 में मध्य, चैनेज 267.640, ग्राम गौसगंज सराय, तहसील फरीदपुर पर नियो स्टार रियेल्टी प्रा0 लि0 एवं रोहिलखण्ड प्रोजेक्ट्स प्रा0 लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे आवासीय कॉलोनी ओम रेसिडेन्सी के सम्पर्क में प्रभावित 0.4368 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 53 वृक्षों की कार्योपरान्त अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव अन्तर्गत आवेदित वन भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 की जानकारी के अभाव में निर्माण कार्य किया गया। वन (संरक्षण) अधिनियम -1980 के अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु नियमानुसार दण्ड स्वरूप अधिरोपित धनराशि अदा करने की वचनबद्धता व्यक्त की जाती है।


(भारत लाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
बरेली


-क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited


(नीरज गोयल)
डॉयरेक्टर

नियो स्टार रियेल्टी प्रा0 लि0


उप प्रभागीय वनाधिकारी (खाँवला)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली